पुरानी रंजिश में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, एक की मौत कई घायल

परिजनों ने रोका अंतिम संस्कार, पुलिस छावनी बना गांव, तनाव की स्थिति निर्मित

नवभारत न्यूज

रीवा, 5 मार्च, होली के दिन मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र के ग्राम ढाबा गौतमान में पुरानी रंजिश को लेकर साकेत परिवार द्वारा पटेल परिवार पर मामूली कहा सुनी को लेकर हमला कर दिया गया. हमले में घायल 55 वर्षीय रघुवीर पटेल की मौत हो गई. वही उसकी पत्नी तथा बहू एवं बच्चों को पीट-पीट कर अधमरा कर दिया गया.

अपने बचाव में मृतक रघुवीर के पुत्रों ने भी जवाबी कार्रवाई में लाठी डंडे से हमला किया. जिसमें दूसरे पक्ष के भी तीन से चार लोग घायल हुए है. सभी घायलों का इलाज जहां रीवा संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है. वहीं मृतक के शव का पुलिस की सक्रियता एवं समझाइए के बाद पोस्टमार्टम तो करा लिया गया. लेकिन परिजन शव को जैसे ही गांव में ले गए तनाव बढ़ गया और अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया. उनका आरोप था कि हत्यारे हरिजन बस्ती में ही छिपे हुए हैं देखते ही देखते माहौल इतना गर्म हो गया की हजारों की संख्या में

पूरा गांव उलट पड़ा और पुलिस छावनी में पूरा गांव तब्दील हो गया.

बढ़ते आक्रोश के बीच टीआई अनिल काकडे ने गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों को वीडियो कॉलिंग के जरिए मृतक के भतीजे को दिखाया और दो आरोपी भागते हुए पकड़ लिये गये. एसडीओपी सची पाठक की समझाइए के बाद मृतक का पुत्र और उसके परिजन दोपहर बाद अंतिम संस्कार को तैयार हुए.

अंतिम संस्कार के बाद भी गांव में तनाव की स्थित बनी हुई है जिसको देखते हुए भारी पुलिसबल तैनात किया गया है. एडिशनल एसपी, एसडीएम, एसडीओपी, हनुमना, मऊगंज एवं शाहपुर थाना प्रभारी व भारी पुलिस बल की उपस्थिति में अंतिम संस्कार हुआ. वहीं हर स्थिति से निपटने के लिए बज्र वाहन सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा.

दो आरोपियों को भागते पुलिस ने पकड़ा

गांव का माहौल तब और गर्म हो गया जब साकेत समाज के दो आरोपी अपने-अपने घरों से निकलकर पुलिस को चकमा देकर भागना चालू किया . लेकिन दोनों आरोपियों को पब्लिक और पुलिस ने दौड़कर पकड़ लिया . लेकिन पटेल परिवार का आरोप है कि इन्हीं घरों में आरोपी छिपे हुए है और घंटों पुलिस से मांग होती रही की सभी को गिरफ्तार किया जाए . घरों में ताले जो लगाए गए हैं उसके अंदर आरोपी घुसे हैं उन्हें निकाल कर गिरफ्तार किया जाए . जिसके बाद पुलिस ने तलाशी ली .

कुएं में गिरने से युवक की मौत

पार्षद ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों को दी सांत्वना

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 5 मार्च । जिले के वार्ड क्रमांक 36 अंतर्गत ग्राम जुवाड़ी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है।

जानकारी के अनुसार राजू बियार पिता संतोष बियार कुएं में गिर गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों की मदद से उन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय के सह ट्रामा सेंटर बैढ़न ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

युवक की असमय मौत से गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल बन गया है। घटना की सूचना मिलते ही वार्ड पार्षद प्रेमसागर मिश्रा जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।

इस दौरान उन्होंने परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है।

रात के अंधेरे में घर से निकले युवक की हत्या

जैतवारा के कोठरा गांव में हुई वारदात, मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान

नवभारत न्यूज

सतना, 5 मार्च. जैतवारा थाना क्षेत्र के कोठरा गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। गुरूवार की सुबह जब उसका शव गांव वालों ने देखा तो पहले मृतक के परिजनों को फिर पुलिस को सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल पर जांच करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी ओर मृतक के परिजन और ग्रामीणों से पूछताछ

करते हुए आरोपी की तलाश की जा रही है। पता चला है कि कोठरा निवासी कौशलेन्द्र सिंह पिता रामलखन सिंह 27 बुधवार की रात करीब साढ़े 11 बजे के बाद घर से बाहर निकले थे। इसके बाद वापस घर नहीं पहुंचे। अगली सुबह उनका शव घर से करीब 200 मीटर दूर नाला किनारे मिलने से गांव में सनाका खिंच गया। थाना प्रभारी जैतवारा अभिषेक पांडेय ने गांव के ही कुछ संदेहियों से पूछताछ शुरू कर दी है।

एडिशनल एसपी पीएल कुर्वे भी मौके पर पहुंचे थे। डॉग स्क्वायड भी जांच के लिए बुलाया गया था। यह बात सामने आ रही है कि घर से जुड़े किसी प्रकरण को लेकर हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद शव ठिकाने लगाया गया है।

पीछे के दरवाजे से खूब बिकी शराब

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 5 मार्च । होली त्योहार के मद्देनजर कलेक्टर ने शुष्क दिवस घोषित किया था, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अधिकांश कई शराब के ठेकेदारों ने पीछे के दरवाजे से शराब की बिक्री किया है।

ग्रामीण अंचलों में कई किराना दुकानों में शराब बिकी है। इसमें पुलिस और आबकारी महकमा बेखबर नही था। जानकर भी अनजान बने रहे। बताया जाता है कि यह सबकुछ आबकारी महकमा के संरक्षण में शराब की अवैध बिक्री शुष्क दिवस पर की गई है। प्रबुद्धजनों का कहना है कि कहीं न कहीं कलेक्टर का आदेश का उल्लंघन हुआ है। कई शराब ठेकेदार एवं आबकारी महकमा के बीच तालमेल था।

NASHIK MUNICIPAL CORPORATION, NASHIK

E-Tender Cell Department

Notice No. 67 (Year 2025-26)

E-Tender Notice Regarding the **PWD Department 1 work** of Nashik Municipal Corporation Nashik. vide E-Tender Notice No.67 (Year 2025-26) invites bids for which will be displayed on the website www.mahatenders.gov.in. from Dt.04/03/2026 to Dt.02/04/2026 up to 17.30 pm Last date for acceptance of tender will be Dt.02/04/2026.

Note - All further necessary notices/clarifications will be published on the online website.

जनसंपर्क/जा.क्र/४७८/२०२६
दि.४/३/२०२६

Sd/-
Executive Engineer
E-Tender Cell
Nashik Municipal Corporation

गोदा प्रदुषण टाळा, भविष्य संभाळा.

श्रीमद भागवत कथा में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री

नवभारत न्यूज

सतना 5 मार्च। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज सतना जिले के ग्राम चोरमारीए पहुँच कर श्री मद भागवत कथा में शामिल हुए।

उन्होंने ग्राम चोर मारी मे आयोजित संगीतमयी श्रीमद्भागवत कथा में कथा व्यास परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री बद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज ;युवराज स्वामी जीद्ध के श्रीमुख से अमृतमयी कथा का श्रमण किया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने संतों के पावन सान्निध्य में भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति एवं धर्ममय परंपराओं से जुड़कर क्षेत्र की सुख.समृद्धि और जनकल्याण की कामना की।

बाल रंग 2026 का आयोजन आज

सतना 05 मार्च. सतना जिले में परंपरा अनुसार कोरोना काल में अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों के साथ बाल रंग होली का कार्यक्रम शुक्रवार को प्रात: 10 बजे से सिविल लाइन के कलेक्टर निवास में आयोजित किया जायेगा।

नागौद बाजार में भारी वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित

▸ एसडीएम ने जारी किया आदेश

नवभारत न्यूज

सतना 05 मार्च. नागौद में बढ़ते यातायात दबाव और संभावित दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नागौद अनिकेत षांडिल्य ने षहर में भारी वाहनों की नो इन्ट्री के आदेश जारी किये है।

नागौद बाजार क्षेत्र में भारी वाहन, ट्रक तथा अन्य मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर निर्धारित समय के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश के अनुसार प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे

तक भारी वाहनों और व्यावसायिक मालवाहक वाहनों का बाजार क्षेत्र में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। शासकीय कार्य, आपातकालीन सेवाओं, दूध वाहन और पीडीएस से जुड़े वाहनों को विशेष परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा बसों को बस स्टैंड के अंदर ही खड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं तथा बाजार मार्ग पर भारी वाहनों की पार्किंग भी प्रतिबंधित कर दी गई है। प्रशासन ने नागरिकों और वाहन चालकों से यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 और मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के तहत कार्यवाही की जाएगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी नागौद द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नगर के प्रमुख मार्गों में सिंहपुर चौराहा से बाजार मार्ग, बस स्टैंड मार्ग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जवाहर चौक मार्ग सहित अन्य मुख्य रास्तों पर निर्धारित समय के दौरान भारी वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। माल उतारने-चढ़ाने से जुड़े वाहनों को भी निर्धारित समय में बिना अनुमति प्रवेश नहीं मिलेगा। बस स्टैंड जाने वाली बसें बस स्टैंड के अंदर ही खड़ी होंगी, बाहर खड़ी करने की अनुमति नहीं होगी। सिंहपुर चौराहे पर सवारी उतारने-चढ़ाने का कार्य चौराहे से 100 मीटर आगे या पीछे निर्धारित स्थान पर किया जाएगा। भारी वाहनों की पार्किंग नगर के बाहर नागौद के रामना मैदान में की जाएगी। साथ ही शासकीय कार्य, पीडीएस, दूध वाहन तथा अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस आदेश से छूट रहेगी। विशेष परिस्थितियों में कार्यालय से अनुमति लेकर भारी वाहन सीमित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।

गेहूं उपार्जन के लिए बटाईदार किसानों का अनुबंध अपलोड होगा

नवभारत न्यूज

सतना 05 मार्च. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा गेहूं उपार्जन के लिए पंजीकृत सिकमी और बटाईदार द्वारा प्रस्तुत अनुबंध का सत्यापन राजस्व अमले द्वारा अनिवार्य रूप से किये जाने के निर्देष दिये गये हैं।

गेहूं उपार्जन पंजीयन के लिए सिकमी बटाईदार द्वारा प्रस्तुत अनुबंध की प्रति ई-उपार्जन पोर्टल पर आपरेटर द्वारा स्कैन कर अनिवार्य रूप से अपलोड करने की व्यवस्था की गई है। उक्त सिकमी बटाईदार द्वारा प्रस्तुत अनुबंध का सत्यापन राजस्व विभाग के अमले द्वारा अनिवार्य रूप से करने के प्रावधान किये गये है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति द्वारा जारी निर्देषों में कहा गया है कि समितियों द्वारा सिकमी बटाईदार श्रेणी के किसानों की पंजीयन की कार्यवाही में पंजीयन केन्द्र द्वारा कृषक द्वारा उपलब्ध कराये अनुबंध को पंजीयन के समय पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में पूर्णत: सही रूप से अपलोड कराये। सहकारी समिति द्वारा संचालित पंजीकरण केन्द्र किसानों द्वारा प्रस्तुत अनुबंध की सत्यता की जांच की जाये। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के रकबे और फसल का मिलान पोर्टल पर अपलोड से अनुबंध किया जायेगा। इसके अलावा मूल भूमिधारक द्वारा सिकमी एवं बटाईदार भूमि देने की पुष्टि भूमि स्वामी किसान से करवाई जायेगी। सिकमी बटाईदार किसान से पंजीकृत किसानों का षत-प्रतिषत सत्यापन राजस्व विभाग के अमले द्वारा कराया जायेगा।

सिकमी कृषक के अनुबंध को पोर्टल पर अपलोड न करने अन्य किसान का पोर्टल पर अनुबंध अपलोड करने, अनुबंध के स्थान पर अन्य दस्तावेज अपलोड करने या अपूर्ण अस्पष्ट दस्तावेज अपलोड करने वाले सहकारी समिति द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र के कम्प्यूटर आपरेटर और किसान के पंजीयन का सत्यापन करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

शादी से मना करने पर आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

सतना, 5 मार्च. मैहर कोतवाली पुलिस ने युवती से बलात्कार करने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार 2 मार्च को युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी जान पहचान प्रमोद विश्वकर्मा पिता फूलचंद्र 26 निवासी बरछेका जिला कटनी से थी। शादी करने की बात कहकर प्रमोद 2023 से बलात्कार कर रहा है। युवती ने यह भी बताया कि आरोपी अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। जब आरोपी ने शादी करने से मना कर दिया तो युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली मैहर में धारा 137(2) 64 (2)एमए 65 (1) ए 351 (3) बीएनएसए 3/4 (2)ए 5 (आई)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट , भोपाल-462016
फोन-0755 -2463585,2430154, फैक्स-0755 -4004137
वेबसाईट: www.mperc.in ई-मेल: secretary@mperc.nic.in

क्रमांक: मप्रविनिआ/डी(टी)/2026/365 दिनांक : 05.03.2026

सार्वजनिक सूचना

एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने थर्मल पावर प्रोजेक्ट अनुपपुर, मध्य प्रदेश के लिए आयोग के 28.02.2025 और 27.11.2025 दिनांकित आदेश से अवधारित उत्पादन टैरिफ और अनुपूरक प्रभार के सत्यापन के लिए याचिका दायर की है। यह याचिका विद्युत अधिनियम 2003 धारा 62 तथा धारा 86 (1)ए के एफ जीडी सिस्टम के लिए सहपठित मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण सम्बन्धी निबंधन एवं शर्ते) विनियमन, 2024 के तहत दायर की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयोग द्वारा अवधारित एएफसी के सत्यापन हेतु दावा किए गए वार्षिक स्थायी प्रभार का विवरण निम्नानुसार है।

(रूपये करोड़ में राशि)

विवरण	आयोग के 28.02.2025 दिनांकित आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एएफसी का अवधारण	याचिकाकर्ता के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एएफसी का दावा	सत्यापन राशि
अंश पूंजी पर प्रतिलाभ	345.54	462.18	116.64
अवमूल्यन/अवक्षयण	398.06	398.73	0.67
ऋण पर ब्याज	268.92	236.05	-32.87
प्रचालन और संधारण व्यय	317.34	399.46	82.12
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	105.17	107.92	2.75
कुल वार्षिक स्थायी प्रभार	**1435.03**	**1604.34**	**169.31**
कम : गैर-टैरिफ आय	-2.50	-1.33	1.17
शुद्ध वार्षिक स्थायी प्रभार	**1432.53**	**1603.02**	**170.49**
शुद्ध वार्षिक स्थायी प्रभार (अनुबंधित क्षमता के लिए)	**429.76**	**480.91**	**51.15**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयोग के अवधारित अनुपूरक प्रभार के सत्यापन हेतु दावा किए गए वार्षिक अनुपूरक (एफ जीडी क्षमता के लिए)स्थायी प्रभार का विवरण निम्नानुसार है : (रूपये करोड़ में राशि)

विवरण	आयोग के 27.11.2025 दिनांकित के अनुसार वार्षिक अनुपूरक क्षमता प्रभार अवधारण अवधि 01.06.2024 से 31.03.2025 के लिए	याचिकाकर्ता के द्वारा अवधि 01.06.2024 से 31.03.2025 के लिए वार्षिक अनुपूरक क्षमता (स्थायी)प्रभार का दावा	सत्यापन राशि
अंश पूंजी पर प्रतिलाभ	27.32	38.17	10.85
अवमूल्यन/अवक्षयण	42.38	44.18	1.8
ऋण पर ब्याज	58.42	61.36	2.94
प्रचालन और संधारण व्यय	14.71	15.91	1.2
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	3.44	3.59	0.15
वार्षिक अनुपूरक स्थायी प्रभार	**146.28**	**163.34**	**17.06**
वार्षिक अनुपूरक स्थायी प्रभार एमपीपीएमसीएल शेयर 30: के लिए	**43.88**	**49.00**	**5.12**
संचालित दिनों की संख्या	304	304	304
संचालित दिनों की संख्या के लिए अनुपूरक स्थायी प्रभार	**36.55**	**40.81**	**4.26**

आयोग ने याचिका को स्वीकार कर इसे **याचिका संख्या 04/2026** के रूप में दर्ज किया हैं।

इस संबंध में आपत्ति/टिप्पणी /सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति उनके तथ्यों की पुष्टि में दस्तावेजों और साक्ष्यों की प्रतियों के साथ अपने मोबाइल नंबर एवं ईमेल आई.डी. सहित अपनी आपत्ति/टिप्पणी/सुझाव सीधे सचिव, म.प्र विद्युत नियामक आयोग, ''मेट्रोप्लाजा'', तल- 5, ई-5, अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल -462016 को इस प्रकार भेज दें की इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **21 दिनों** के अंदर आयोग कार्यालय पहुँच जाए। इसकी एक प्रति निदेशक एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड, 239, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज -III, नई दिल्ली 110020 को भी भेज दें। आपत्तियों/टिप्पणियों/सुझावों की अग्रिम प्रति को फैक्स अथवा ई-मेल से भी भेजा जा सकता हैं। किसी शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है।

इच्छुक व्यक्ति याचिका (अंग्रेजी संस्करण) की प्रति कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक आयोग कार्यालय या एमबीपीएमपीएल 239, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेटफेज - III, नई दिल्ली 110020 से प्राप्त कर सकते है। इसके लिए 200 रू. नकद या किसी अनुसूचित बैंक का 200 रू. का ड्मिाण्ड ड्राफ्ट एमपीईआरसी के नाम भोपाल में देय या एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड के नाम से नई दिल्ली में देय देना होगा। याचिका की प्रति 50 रू. अतिरिक्त डाक शुल्क भुगतान कर डाक से भी प्राप्त की जा सकती है। यह याचिका आयोग की वेबसाइट www.mperc.in पर भी उपलब्ध है।

इस प्रकरण में जन सुनवाई का आयोजन (हाईब्रिड मोड) दिनांक **07.04.2026** को प्रात: **12:00** बजे किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने निर्धारित समय सीमा में अपने लिखित आपत्ति/टिप्पणी/सुझाव प्रस्तुत किये हैं, उनके मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर उक्त जन सुनवाई हेतु आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध गाईड्लाईन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना दी जायेगी।

आयोग के आदेशानुसार
(संजय कुमार बघेल)
प्रभारी सचिव

मैहर में 49 शीशी कफ सिरप के साथ चार गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस ने की कार्यवाही, बाइक भी जब्त की

नवभारत न्यूज

सतना, 5 मार्च. मैहर कोतवाली पुलिस ने दो अलग अलग कार्यवाही करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 49 शीशी कफ सिरप जब्त कर चारों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अनिमेष द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्यवाही की है।

पुलिस के अनुसारए 3 मार्च को

मुखबिर की सूचना पर कटनी. मैहर बायपास रेलवे ब्रिज के नीचे से अपाचे मोटर साईकिल पर सवार दो युवकों को पकड़ा गया। आरोपी यश पटेल निवासी जरियारी एवं संयम तिवारी निवासी पटेहरा के पास मिले बैग से 20 शीशी ऑनरेक्स कफ सिरप समेत परिवहन में प्रयुक्त बाइक जब्त की गई। इसी तरह दूसरी कार्यवाही 4 मार्च को हुई। मैहर में डीएनडी होटल के पास स्थित ब्रिज के नीचेसे विलाल खान एवं राजकुमार चौरसिया निवासी मैहर को पकड़ा गया। उनके पास मिले झोले में 29 शीशी कफ सिरप पाई गई।

एनडीपीएस एक्ट के तहत की कार्रवाई

दोनों कार्रवाही में पकड़े गए आरोपियों में यश पटेल उर्फदीपांशु पिता चंद्रप्रकाश पटेल उर्फछोट(19) निवासी जरियारीए संयम तिवारी पिता अरुण तिवारी (21) निवासी पटेहराए विलाल खान पिता ताज मोहम्मद (24) निवासी किला चौक पुरानी बस्ती मैहरए राजकुमार चौरसिया पिता प्रकाश चौरसिया (21) निवासी रेलवे स्टेशन के पास मैहर हैं। दोनों प्रकरणों में आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट एवं मप्र ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा प्लाट नं.34, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित . संपादक- संजय पयासी* फोन- 250587, फैक्स- 224642 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99